कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल सागर (म.प्र.)

Email Id - sagarcentjail@gmail.com, Fax No. - 07582-240060-261245

क्रमांक /स्थापना/ सागर दिनांक / /

प्रति,

संचालक
जनसंपर्क विभाग
बाणगंगा मध्यप्रदेश भोपाल।

विषयः– सागर सर्किल की अधीनस्थ इकाई में रिक्त दिव्यांगजनो हेतु– भृत्य पद (बहरे एवं कम सुनने वाले) 01 अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति समाचार पत्रो में प्रकाशन बावत्।

उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि जेल मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 4484/सामान्य स्थापना/अराज./2024 भोपाल दिनांक 26.02.2024 के पालन में सागर सर्किल की अधीनस्थ जेलो पर रिक्त भृत्य पद पर नियुक्ति की जाना है। तत्संबंध में विज्ञप्ति इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि इसका प्रकाशन कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं प्रदेश स्तर के कम से कम 02 दैनिक समाचार पत्रों में **दिनांक 16.06.2024** के पूर्व तक कराने का कष्ट करें।

संलग्न–विज्ञप्ति 05 प्रति में।

/-
अधीक्षक
केन्द्रीय जेल सागर म.प्र.

पृ.क्रमांक 1722-1729 /स्थापना/2024 सागर दिनांक 07/06/2024

प्रतिलिपि :–

1. महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ, जेल मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. संचालक, रोजगार संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर पत्र दिनांक 16.04.2024 के अनुक्रम में आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ।
3. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला–सागर की ओर सूचनार्थ।
4. विशेष रोजगार कार्यालय, दिव्यांगजन, उदयोग भवन, टीव्ही टॉवर के पास जबलपुर की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. संभागीय संचालक, जनसंपर्क कार्यालय जिला–सागर की ओर भेजकर लेख है कि अधीनस्थ जिलो के स्थानीय समाचार पत्रो में उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
6. जिला रोजगार अधिकारी सागर की ओर सूचना पटल चस्पा करने हेतु प्रेषित।
7. अधीक्षक जिला जेल टीकमगढ/दमोह, सब जेल रहली/खुरई/बंडा/निवाडी/जतारा/हटा/बेगमगंज की भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रचार–प्रसार स्थानीय स्तर पर करना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
8. सूचना पटल, केन्द्रीय जेल सागर।

अधीक्षक
केन्द्रीय जेल सागर म.प्र.

कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल सागर (म.प्र.)

Email Id - sagarcentjail@gmail.com, Fax No. - 07582-240060-261245

क्रमांक 1721/स्थापना/2024 सागर दिनांक 07/06/2024

रोजगार विज्ञापन

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि सागर सर्किल की अधीनस्थ जेलों पर निम्नानुसार चतुर्थ श्रेणी "भृत्य" के रिक्त पद पर भर्ती नियमों के अनुरूप **वॉक–इन–इण्टरव्यू** के माध्यम से नियुक्ति की जाना हैं, जो अभ्यर्थी उक्त पद पर सेवायें देना चाहते हो वे अपना आवेदन पत्र सामान्य शर्तो में उल्लेखित दस्तावेजों के साथ अधीक्षक केन्द्रीय जेल सागर के समक्ष किसी भी कार्य दिवस में **दिनांक 27.06.2024** को सायंकाल 05:00 बजे तक जमा कर सकते है। रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र	पदनाम एवं वेतनमान	रिक्तियों की संख्या	रिक्त पद की श्रेणी	वर्ग	पद का प्रकार	शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4			5
1	भृत्य वेतनमान रूपये(15500–49000)	01	दिव्यांगजन (बहरे एवं कम सुनने वाले)	अन्य पिछडा वर्ग	नियमित	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 08 वीं उत्तीर्ण।

टीपः–नियुक्ति की अन्य शर्ते एवं आवेदन जेल विभाग के ई–पोर्टल https://jail.mp.gov.in अथवा केन्द्रीय जेल सागर के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल सागर म.प्र.

कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल सागर (म.प्र.)

Email Id - sagarcentjail@gmail.com, Telephone No. - 07582-261245

चतुर्थ श्रेणी(भृत्य) पद, दिव्यांगजन(बहरे एवं कम सुनने वाले) हेतु सामान्य शर्ते

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 08वी कक्षा उत्तीर्ण होने की अंक सूची।
2. आयु सीमाः— 01.07.2024 को 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए।
3. दिव्यांगता का प्रमाण पत्र(बहरे एवं कम सुनने वाले) जिला मेडीकल बोर्ड से निर्मित होना चाहिए।
4. अभ्यर्थी को दिव्यांग(बहरे एवं कम सुनने वाले) के अतिरिक्त शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए।
5. अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
6. अभ्यर्थी को आवेदन के साथ मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र स्वहस्ताक्षरित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. परीक्षा योजना—अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों एवं वॉक—इन—इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जावेगा।
8. परिवीक्षा अवधि—चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जायेगी/परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नही करने की स्थिति में सेवा से पृथक किया जा सकेगा। चयनित अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेंड देय होगा।

प्रथम वर्ष	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

9. परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड के साथ शासन के नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।
10. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक एफ;9/3/2003/नियम/चार/, दिनांक 13.04.2005 के अधीन उल्लेखित निर्देश/शर्तो के अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना(एनपीएस) के अंतर्गत रहेगी।
11. अनर्हताः—
    (क) जिस अभ्यर्थी की दो से अधिक जीवित संतान हों, जिसमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।
    (ख) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो तथा कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पहले से ही एक पति जीवित हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।
    (ग) जिस अभ्यर्थी का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु(पुरूष 21 वर्ष, महिला 18 वर्ष) से पूर्व कर लिया गया होगा उसे उक्त पद से अयोग्य माना जावेगा।
12. आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है अथवा वांछित दस्तावेज संलग्न नही किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बगैर, आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
13. अभ्यर्थी के चयन उपरांत यदि उनके द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य/मिथ्या पायी जाती है तो नियुक्ति समाप्त कर संबंधित के विरूद्व वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।

14. अभ्यर्थी को इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप मे आवेदन दिनांक 27.06.2024 के पूर्व डाक द्वारा या सीधे इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

15. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अधिक उम्र/योग्यता के अभ्यर्थी को वरीयता प्रदाय की जावेगी।

16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ सी 3–15/2012/1/3 भोपाल दिनांक 24.11.2012 के अनुक्रम में यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जायेगें, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में अभ्यर्थी शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

17. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की वाद पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

18. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचारण में होने की दशा में उसे अयोग्य माना जायेगा।

19. दस्तावेजो की सूची एवं क्रमः–
    1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
    2. कक्षा 08वी एवं उच्च योग्यता के प्रमाण पत्र।
    3. दिव्यांगता(बहरे एवं कम सुनने वाले) का मेडीकल बोर्ड प्रमाण पत्र।
    4. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र।
    5. मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
    6. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी अन्य पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण–पत्र(डिजीटली निर्मित)
    7. जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की अंकसूची।
    8. परिवार समग्र–आईडी सूची।
    9. आधार कार्ड।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल सागर म.प्र.